रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4 खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 5 सितम्बर, 1998
भाद्रपद 14 1920 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-5

सं0 क0नि0-5-3750/11-98-218(9)-94

लखनऊ 3 सितम्बर 1998

अधिसूचना

प0आ0 495

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम सं0 16 सन् 1908) की धारा 5 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस निमित्त जारी की गई पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आशिक उपान्तर करके, जिला इटावा के उप जिला भरथना, औरैया और इटावा की सीमाओं में परिवर्तन करके जिला इटावा में एक नया उप जिला चक्करनगर बनाते है और उप जिला चकरनगर भरथना, औरया और इटावा की सीमाओं को, जैसा कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ 3 में प्रत्येक के सामनें दर्शाया गया है, विहित करते है ।

2-उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन राज्यपाल अग्रतर उपजिला चकरनगर में उप निबन्धक का कार्यालय स्थापित करते है ।

3-यह अधिसूचना दिनांक 7 सितम्बर 1998 से प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

क्र0 सं0	उपजिलों का नाम	उप जिलों की सीमायें
1	2	3
1	चकरनगर	चकनगर की राजस्व तहसील
2	भरथना	भरथना का राजस्व तहसील
3	औरया	औरया की राजस्व तहसील
4	इटावा	इटावा की राजस्व तहसील

आज्ञा से
हरीशचन्द्र गुप्त
प्रमुख सचिव ।